संख्या-1/2015/67/एक-13-2015-7क(85)/14

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद,उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

4-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषय- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) में यह व्यस्था है कि उक्त अधिनियम की धारा 24(2) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मामले में भू-अर्जन की कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख अर्थात 01-01-2014 से 05 वर्ष अथवा उसके पूर्व एवार्ड की घोषणा की गयी है किन्तु भूमि पर वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह व्यपगत हो गयी है और यदि समुचित सरकार चाहे तो वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ कर सकेगी। इस उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार जहां अभिनिर्णय किया गया है तथा बहुसंख्यक भू-धारकों/हितबद्ध व्यक्तियों के खाते में प्रतिकर जमा नहीं किया है, तो भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी भू-धारकों/हितबद्ध व्यक्तियों को वर्ष 2013 के अधिनियम की उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

2- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश,2014 (अध्यादेश संख्या-9 सन 2014) की धारा 6 द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक बढाया गया है;-

" Provided further that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction issued by any court or the period specified in the award of a Tribunal for taking possession or such period where possession has been taken but the compensation lying deposited in a court or in any account maintained for this purpose shall be excluded."

3- उपरोक्त से स्पष्ट है कि द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित अवधि यदि कोई हो, को अवधि की गणना में से निकालने पर यदि अवशेष अवधि 05 वर्ष या अधिक है तथा एवार्ड की घोषणा 01-01-2014 से 05 वर्ष अथवा उसके पूर्व हुई है तो धारा 24(2) के प्राविधान लागू होंगे। भूमि पर भौतिक कब्जा लिया जाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

या प्रतिकर का संदाय मा0 न्यायालय न किया जाना अथवा इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये खोले गये खाते में न किये जाने में से कोई एक शर्त पूरी होने पर धारा 24(2) के प्राविधान लागू होंगे। धारा 24(2) का प्रथम परन्तुक धारा 24(2) का अपवाद है। अत; जो प्रकरण धारा 24(2) के प्रथम परन्तुक से आच्छादित होंगे उनमें धारा 24(2) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

4- उपरोक्त धारा 24(2) के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों/संदर्भों/प्रकरणों के निस्तारण की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है;-

(क) धारा 24(2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/संदर्भों/प्रकरणों पर संबंधित जिलाधिकारी से तथ्यात्मक पुष्टि कराकर प्रशासनिक विभागों द्वारा परीक्षणोपरान्त मत स्थिर किया जायेगा।

(ख) तदोपरान्त प्रशासनिक विभागों द्वारा राजस्व विभाग एवं न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर मा0 विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से यथावश्यक संबंधित अर्जन प्रक्रिया में व्यपगत करने की अधिसूचना विधायी विभाग से विधीक्षत कराकर जारी की जायेगी।

5- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2015/67(1)/एक-13-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;-

(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनउ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष।
(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, उपसा एवं यूपीडा।
(4) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
बीरबल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।